न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 17/2015
GCMS No. : 2015/00022

–:: प्रार्थीगण ::–

1. नुरा पुत्र रीमा
2. हाजरी पत्नी रामा
3. नसीबा पुत्र चिमना

जातियान– मेहरात, निवासीगण– भींमगढ़, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. जोरू पुत्र कालू
2. सम्पत पुत्र पेमा
3. सतू पुत्र जोरू
4. राजू पुत्र जोरू

जातियान– मेघवाल, निवासीगण– भींमगढ़।

5. मदन पुत्र जमाल
6. बाबू पुत्र बन्ना
7. मंगला पुत्र डुंगा
8. छोटू पुत्र बाबू

जातियान– मेहरात।

9. दीना पुत्र डुंगा

जातियान– मेहरात, निवासीगण– भींमगढ़, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 :

तारीख रजूः 25/02/2015

उपस्थितः. 1. श्री राजेन्द्र गुर्जर, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. महेन्द्र कुमार गुर्रा, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँकः 25/03/2021

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायलान् की पुश्तैनी पैतृक कृषि भूमि कब्जा काश्त की ग्राम भीमगढ़ पटवार हल्का रास में निम्न खसरा नम्बर 2095 रकबा 04–08 बीघा, खसरा नम्बर 2244 रकबा 06–10 बीघा, खसरा नम्बर 2245 रकबा 03–13 बीघा, खसरा नम्बर 2246 रकबा 05–0[illegible] बीघा, खसरा नम्बर 2247 रकबा 19–17 बीघा, खसरा नम्बर 2248 रकबा 13–01 [illegible]घा, खसरा नम्बर 2249 रकबा 01–18 बीघा, खसरा नम्बर 2251 रकबा 05–[illegible] बीघा, खसरा नम्बर 2252 रकबा 06 बीघा, खसरा नम्बर 2253 रकबा 29[illegible]7 बीघा किस्म [illegible] दोयम है व मौके पर सभी भूमि आई हुई जिसका सायलान 1/2 हिस्से कानूनी काश्तकार सहखातेदार हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कर अपने अपने हिस्से मुजब काश्त शांतिपूर्वक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

करते आ रहे है। सायलान् खाने कमाने हेतु बाहर गये हुये व काफी समय बाद ग्राम भीमगढ़ आये तो वादी के हिस्से की कृषि भूमि पर गैरसायलान् संख्या एक से चार ने कब्जा कर मकान बना लिये व गैरसायलान् संख्या छह बाबु पुत्र बना मकान बनाना शुरू कर दिया व गैरसायल संख्या पांच मदन पुत्र जमाल ने पक्का मकान बना लिया व गैरसायल मंगला छोटी दीना ने सायलान् के कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा कर बाउण्ड्रीवाल बना ली। सायलान् जब अपने गांव वापस दिनांक 31/12/2014 को आया व गैरसायलान् को कब्जा बाबत् औलबा दिया तो गैरसायलान् सायलान् के साथ झगडा करने पर उतारू हो गये व एससी-एसटी के मुकदमे मे फसाने की धमकी दी जबकि गैरसायलान् प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे बताई गई समस्त कृषि भूमि के न तो खातेदार काश्तकार है न ही कभी इस कृषि भूमि से कोई लेना देना रहा गैरसायलान् संख्या एक से नो सायलान् की कृषि भूमिपर लाठी व ताकत के बल पर जबरन कब्जा कर अपने मकान व बाउण्ड्रीवाल बना लिये गैरसायलान् सायलान् के हिस्से की कृषि भूमि पर अतिकमी की हैसियत से उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है जो कानूनी रूप से व लाठी के बल से कर रहे है। गैरसायलान् द्वारा सायलान् की कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर मकानात व बाउण्ड्रीवाल बनाकर अतिकमी की हैसियत से कब्जा कर बैठे है जिन्हे सायलान् की कृषि भूमि से बेदखल कर पुनः कब्जा सायलान् को दिलाया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। इसलिये सायलान् श्रीमान् के समक्ष कब्जा लेने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है। सायलान् ने दिनांक 12-02-2015 को गैरसायलान् को अपनी खातेदारी कृषि भूमि मे निर्माण करने हेतु रोकने हेतु गया तब गैरसायलान् संख्या एक से नो ने एक राय कर निर्माण कार्य करना चालु रखने व सायलान् को धमकी दी कि अगर अब इधर आ गये तो ... सायलान् के खिलाफ एससी-एसटी का मुकदमा दर्ज करवा देगें व सायलान् से यह भी कहा कि तेरे से जो हो कानूनी कार्यवाही कर ले हम अब उक्त कब्जा सायलान् को नही सोपेगें व रात दिन कारीगर व मजदूर लगाकर विवादित कृषि भूमि पर निर्माण कार्य लगातार करवा रहे है। गैरसायलान् को ऐसे कोई कानूनी अधिकार उत्पन्न नही होते है, सायलान् की कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य करें सायलान् को अपनी कब्जे काश्त की कृषि भूमि मे हो रहे निर्माण कार्य को रोकने व रुकवाने का पूर्ण हक व अधिकार होने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत है। गैरसायलान् द्वारा सायलान् की कब्जा काश्त की कृषि भूमि मे किये पक्का निर्माण कार्य किया है। उक्त निर्माण कार्य जरिये मेण्डेटरी व प्रोहिबिटरी के हटाया जाकर उक्त कृषि भूमि से गैरसायलान् को बेदखल कर उक्त विवादित कृषि भूमि वैके पजेशन सायलान् को दिलवाने हेतु सायलान् द्वारा यह प्रार्थनापत्र गैरसायलान् के खिलाफ बेदखली व कब्जा जमीन का प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर गैरसायलान् को ... की कब्जे काश्त की कृषि भूमि मे हो रहे निर्माण कार्य को नहीं रोका ... सायलान् को असीम क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं ... गैरसायलान् अगर सायलान् की कर्ज काश्त की कृषि भूमि मे निर्माण कार्य करेगे तो झगडा फसाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:58:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

बढेगा व मुकदमेबाजी होगी जिनको रोके जाने हेतु सायलान् गैरसायलान् के विरुद्ध यह अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायहित मे आवश्यक होने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत है। तथ्यो, परिस्थितियो व दस्तावेजात से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायलान् के पक्ष मे बखुबी साबित है। यदि गैरसायलान् द्वारा जोर जबरदस्ती लाठी के बल पर सायलान् की कृषि भूमि पर कब्जा कर निर्माण करने से सायलान् को असीम क्षति होगी सायलान् अपने हक व हकुको से हमेशा के लिये वंचित हो जायेगे व विविध प्रकार की पेचीदगिया बढेगी इसलिए सायलान् के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनात्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष पेश है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे बताई गई ख0नं0 की कृषि भूमि पर गैरसायलान् व उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट आदि निर्माण कार्य नही करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें एवं प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे बताई ख0नं0 की कृषि भूमि से गैरसायलान् को बेदखल कर गैरसायल न् द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया है को हटाया जाकर उक्त कृषि भूमि से गैरसायलान् को बेदखल कर इस कृषि भूमि का वेकेन्ट (खाली) कब्जा सायलान् को गैरसायलान् से दिलाया जावे ऐसी अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान् के पक्ष मे व गैरसायलान् के विरुद्ध जारी फरमावें तथा प्रार्थनापत्र की रुह से अन्य कोई सहायता जो सायलान् प्राप्त करने के अधिकारी हो दिलायी जावें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या एक से नौ ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया जो सा0मि0 है। अप्रार्थीगण संख्या एक से नौ ने जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक का जबाब है कि इस पद मे वर्णित तथ्य वादग्रस्त खसरा नम्बरान् की कुल कृषि भूमि बाबत् पूर्ण जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। गैरसायल संख्या एक से नो के पक्के मकानात् चार दीवारी व बाडो के पूरब मे सायलान् व अन्य सहखातेदारान् की भूमि स्थित है। परन्तु उक्त भूमि पैतृक पुश्तैनी है या नही इसका ज्ञान गैरसायलान् को नही है। वादग्रस्त कृषि भूमि को सायलान् व अन्य सहखातेदारान् अपनी समझ से हिस्सेनुसार बोते है व फसल लेते है। परन्तु उक्त भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के पत्थर गढी करके नाप करके मौके पर अलग अलग खाते कायम करके कानूनी विभाजन नही हो रखा है। सायलान् व अन्य सहखातेदारान् उनकी खातेदारी कब्जा काश्त की सम्पूर्ण भूमि पर काबिज है तथा वे अपनी सम्पूर्ण भूमि पर काश्त करते है। गैरसायल संख्या एक से नो का सायलान् व व[illegible] कृषि भूमि से कोई लेना देना नही है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या [illegible] पदो में वर्णित तमाम तथ्य गलत वेबुनियाद होने से [illegible] अस्वीकार करते है। सायलान् अपने सम्पूर्ण जीवन मे खाने कमाने के लिए कभी गांव छोड़कर बाहर नही गये न वादग्रस्त कृषि भूमि के अन्य सहखातेदारान् कभी बाहर खाने कमाने गये। उनका रोजगार कृषि ही है। जो वे सदैव करते रहे है। गैरसायलान् संख्या एक से चार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

[illegible] सायलान् के हिस्से की कृषि भूमि पर कब्जा करके मकान बनाने की बात प्रार्थनापत्र में बिल्कुल ही गलत लिखी है तथा गैरसायल मदन पुत्र जमाल, मंगला, छोटी, दीना व बाबु पुत्र बना द्वारा पक्का मकान, चार दीवारी सायलान की अनुपस्थिति मे बनाने के तथ्य भी बिल्कुल गलत लिखे है। वास्तविक तथ्य यह है कि ग्राम भीवगढ से रास व बाबरा जाने वाली सड़क (पटरी छोड़कर) व सायलान् व अन्य सहखातेदारान् की वादग्रस्त कृषि भूमि के मध्य लम्बी पट्टी मे सरकारी पडत भूमि पड़ी है। जो खसरा संख्या 2237 भूमि व खसरा संख्या 2238 बेरी है। जिस सरकारी पड़त भूमि पर गैरसायल संख्या एक से नो के बाप दादा के समय से यानि गत साढ वर्षो से भी अधिक समय से अलग-अलग कब्जा करके वाड़े बनाये हुवे थे, जो भूमि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक में वर्णित तमाम वादग्रस्त खसरा नम्बरान की भूमि से बिल्कुल अलग स्थित है तथा सायलान् को व अन्य सहखातेदारान् को शुरू से ही इस तथ्य का पता व ज्ञान है कि उनकी खातेदारी भूमि व आम सड़क के बीच की पडत भूमि पर गैरसायलान् संख्या एक से नो के बाड़े बने है। जिन्हें वे काम मे लेकर उपयोग उपभोग गत साठ वर्षों से भी अधिक समय से कर रहे है। हांलाकि सायलान् कभी गांव छोड़कर बाहर नही गये परन्तु मान भी लिया जावे तो वादग्रस्त भूमि के अन्य सहखातेदारान् तो गांव मे ही थे और चूंकि वादग्रस्त कृषि भूमि का कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है और ऐसी स्थिति मे प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक खातेदार काश्तकार का हक हिस्सा होता है अगर गैरसायल संख्या एक से नो सायलान् की गैरमौजूदगी मे नये सिरे से कब्जा करके मकानात व चार दीवारी बनाते तो सभी सहखातेदारान् गैरसायलान् को रोक देते या रोक सकते थे, क्योकि सहखातेदारान् तो गांव मे ही थे कहीं बाहर गये ही नही और नेकेड आईसे देखने मात्र से ही पता चलता है कि मौके पर सायलान की व सहखातेदारान की कृषि भूमि के मिट्टी का पाला कदीम से लगा हुवा है जो पाला (खन्दक) आज दिन भी मौके पर मौजूद है तथा उक्त पाले के बीच मे अनेकानेक बड़े बड़े उम्रदराज वृक्ष खड़े है जो एकदम से लगाकर तुरंत ही बड़े नहीं होते है। उक्त पाला (खन्दक) व गैरसायलान संख्या एक से नो की मकानात् व चारदीवारी की बिल्डिंग लाईन के बीच भी करीब पांच फुट भूमि पड़ी है जो स्पष्ट नजर आती है। इसलिए यह कहना बिल्कुल ही गलत है कि सायलान् बाहर गये थे और काफी समय बाद लोटे तब उन्हे मकानात् व चारदीवारी का पता चला हो मकानात् व चार दीवारी भी तो तुरंत फूरत मे नही बन जाते उनके निर्माण में भी काफी महिने लगते है । गैरसायल संख्या एक से नो के बाड़ो की जगह पक्के मकानात् व चारदीवारी बनाने का समस्त कार्य का पता सायलान् को था, परन्तु चुंकि सायलान् की कृषि भूमि से अलग सरकारी पड़त भूमि [illegible] इसलिए सायलान् व अन्य सहखातेदारान् चुप रहे। सायलान् [illegible] 31/[illegible]/2[illegible]4 को बाहर से आये न गैरसायलान् से उनकी बातहुयी गैरसायलान [illegible] को कभी भी एससी-एसटी के झुठे मुकदमे में फंसाने की धमकी नही दी तथा गैरसायलान् ने ताकत व लाठी के बल पर जबरन मकानात् व चारदीवारी नही बनाये है। बल्कि उनके बाप-दादा के समय की कब्जा सुदा भूमि पर उन्होने पक्के निर्माण किये। जो बिल्कुल शांति से व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

समय लेकर पूरे हुवे। गैरसायल संख्या एक से नो अतिकमी की हैसियत नही रखते है, न उन्होने कोई अतिक्रमण करके कब्जा किया है, बल्कि गैरसायलान् की हैसियत गत साठ वर्षों से भी अधिक समय से कब्जेदार व मालिकाना अधिकार रखने की है। जिससे सायलान् का कोई लेना देना नही हैं। सायलान् को गैरसायलान् के विरूद्ध यह कब्जा का प्रार्थनापत्र लाने का कतई कोई कानूनी अधिकार नही है, न प्रार्थनापत्र पोषणीय है। प्रार्थनापत्र गलत किया गया है, जो कानूनन चलने योग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। मौके की स्थिति के फोटोग्राफस् व नक्शा किस्तवार की फोटो प्रति जवाब प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या चार का जवाब है कि इस पद मे गणित तमाम तथ्य गलत बेबुनियाद होने से गैरसायलान अस्वीकार करते। सायला गैरसायलान के पास उनका निर्माण रोकने को कभी नही आये। गैरसायल संख्या एक से नौ को दिनांक 12/02/2015 को सायलान् न तो निर्माण की बाबत् कोई बात की न वे मिले। जबकि सायलान् दिनांक 31/12/2014 को गांव आने का कहते है। सायलान को निर्माण की बाबत चालू रखने नही रखने की धमकी देने का प्रश्न ही नही जगता। क्योकि गैरसायलान का निर्माण व चारदीवारी सायलान की भूमि मे है ही नही और सरकारी परत भूर्मि से सायलान् का कोई लेना देना नही है। सायलान के विरूद्ध हांलाकि एससी–एसटी का मुकदमा दर्ज कराने की बात गैरसायलान ने नही कही है, परन्तु अगर सायलान् वास्तव मे कानून हाथ में लेकर गैरसायलान् के कदीमी कब्जे की भूमि हड़पने का झगड़ा टेटा करके मारपीट करके अपशब्द व जातिगत गालियां बोलकर अपमान करेगे तो उस घटना की रिर्पोट गैरसायलान अवश्य अपने अधिकारो की रक्षाके लिए दर्ज करवायेगे। अपनी कदीमी कब्जा सुदा भूमि पर निर्माण कराने का गैरसायलान् संख्या एक से नो को कानूनी अधिकार प्राप्त है तथा सायलान् को गैरसायलान् का निर्माण रूकवाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है, न गैरसायलान् के विरूद्ध सायलान् अस्थाई निषेधाज्ञा दी ही जा सकती है। प्रार्थनापत्र बिल्कुल गलत व झूठे तथ्यो पर आधारित पेश किया है, जो कानूनन चलने योग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या चार द्वितीय का जबाब ह कि इस पद में वर्णित तमाम तथ्य गलत बेबुनियाद होने से गैरसायलान् अस्वीकार करते है। जब गैरसायल संख्या एक से नौ ने सायलान् की वादग्रस्त कृषि भूमि पर कोई पक्का निर्माण किया ही नही है। गैरसायलान् के मकानात, चारदीवारी के बीच करीब पांच फुट जमीन खाली पड़ी है। फिर सायलान् व सहखातेदारान् के खेत का पाला (खन्दक) कदीमी लगा हुवा है व वृक्ष खड़े है, तब गैरसायलान् का निर्माण जो सरकारी पड़त भूमि पर कदीमी से है उसे मेण्डेटरी व प्रोहिबिटरी अस्थाई निषेधाज्ञा से मामगैरसायलान् को बेदखल करके हटाया जा ही नही [illegible] किया जा सकता है। सायलान् को गैरसायल संख्या एक से नौ के [illegible] बेदखली व कब्जा जमीन का प्रार्थनापत्र लाने का ही कोई कानूनी हक नही [illegible] पेश भी गलत किया गया है, जो कानूनन् चलने योग्य नही होने [illegible] खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या पांच का जबाब है कि इस पद मे वर्णित तमाम तथ्य गलत बेबुनियाद होन से गैरसायलान् अस्वीकार करते है। ऊपर जवाब प्रार्थनापत्र मे बार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

यह लिखा जा चुका है कि गैरसायलान् संख्या एक से नौ का निर्माण मकानात् चारदीवारी सरकारी पइत भूमि मे कदीम से स्थित है। सायलान् की वादग्रस्त कृषि भूमि मे गैरसायलान् का कोई निर्माण है ही नही तो उसे रोकने का भी सायलान् को कोई हक नही है, न कानूनन रूकवाया ही जा सकता है और सायलान् की भूमि पर गैरसायलान् गये ही नही तो झगड़ा फसाद व मुकदमेबाजी बढने का प्रश्न ही नही उठता, न सायलान् को एक रूपये की भी क्षतिपूर्ति हुयी है, न हो सकती है। सायलान् को गैरसायलान् के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने व उस हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश करने का ही कानूनी अधिकार नहीं है, प्रार्थनापत्र गलत किया गया है, जो कानूनन चलने योग्य नही होने से काबिल खारिज के है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या छः का जबाब है कि इस पद मे वर्णित तमाम तथ्य गलत बेबुनियाद होने से गैरसायलान् अस्वीकार करते है। सायलान् का न तो प्रथम दृष्टिया मामला साबित है, न ही सुविधा का सन्तुलन सायलान् के पक्ष में है। दावे व प्रार्थनापत्र की आड मे व जबरन लाठी लकडी व हिंसा के बल पर सायलान् गैरसायलान् के मकानात, चारदीवारी को हटा या हटवा देते है तो सायलान् को तो नही पर गैरसायलान् को अवश्य असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी फरूप में संभव नहीं हो सकेगी। प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन के बिन्दु भी गैरसायलान् के पक्ष में साबित है। प्रार्थनापत्र गलत व बनावटी तथ्या पर आधारित पेश किया है जो कानूनन चलने योग्य नही है।)

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनते हुए उस पर मनन किया। प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः-

01) प्रथम-दृष्ट्या मामला : वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार है तथा वादीगण द्वारा कानूनन बंटवाड़े बाबत् वाद प्रस्तुत किया है, जो जैरकार है। चुंकि प्रत्येक सहखातेदार का अपनें हक-हिस्से तक की आराजी का उपभोग/उपयोग करनें का अधिकार होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र से यह स्पष्ट हैं कि प्रार्थीगण/वादीगण का उसके हक-हिस्से तक की आराजी के उपभोग/उपयोग में प्रतिवादीगण द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जा सकता है, जिन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः यह बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

(02) सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति :- चूंकि प्रथम-दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित है। चूंकि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण/वादीगण सहखातेदार एवं कब्जा-काश्त है, अतः सुविधा का संतुलन वादी के हक-हिस्से तक प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में निहित होना साबित होता तथा प्रतिवादीगण को वादी/प्रार्थी के हक-हिस्से तक वादग्रस्त आराजी में दखल से जरिए निषेधाज्ञा रोका नहीं गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति की प्रबल आशंका भी साबित होती है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र साबित होनें से स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:27 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रार्थीगण/वादीगण के हक–हिस्से तक की आराजी में काश्त एवं अन्य कृषि विकास कार्य करनें में स्वयं या अन्य द्वारा दखल देनें से ताफैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वर्जित किया जाना विधिसंगत एवं उचित रहेगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा, 212 राजस्थाना काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम भीमगढ़ पटवार हल्का रास में निम्न खसरा नम्बर 2095 रकबा 04–08 बीघा, खसरा नम्बर 2244 रकबा 06–10 बीघा, खसरा नम्बर 2245 रकबा 03–13 बीघा, खसरा नम्बर 2246 रकबा 05–00 बीघा, खसरा नम्बर 2247 रकबा 19–17 बीघा, खसरा नम्बर 2248 रकबा 13–01 बीघा, खसरा नम्बर 2249 रकबा 01–18 बीघा, खसरा नम्बर 2251 रकबा 05–17 बीघा, खसरा नम्बर 2252 रकबा 06 बीघा, खसरा नम्बर 2253 रकबा 29–07 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण के वर्तमान कब्जे काश्त में कोई परिवर्तन नहीं करें, प्रार्थीगण के हक–हिस्से तक काश्त आदि में हस्तक्षेप नहीं करें, किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं करें, नवीन निर्माण इत्यादि नहीं करें तथा वर्तमान मौका स्थिति में परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 25/03/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:27 IST
Reason: SelfAttested